भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2851

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा परियोजनाएं

2851. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नंदुरबार, शोलापुर और सांगली जिलों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की घोषणा के बाद से अब तक उनकी प्रगति और वर्तमान परिचालन स्थिति की समीक्षा की है;
(ख) यदि हाँ, तो नंदुरबार, शोलापुर, सांगली और आसपास के जिलों में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के अंतर्गत पवन और सौर परियोजनाओं सहित वर्तमान में संचालित कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने 2022 से आगे राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सम्बंधी लक्ष्यों के प्रति इन परियोजनाओं के योगदान का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;
(घ) क्या केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत नंदुरबार, शोलापुर और सांगली जिलों के लिए कोई विस्तार, पुनःसशक्तिकरण या मिश्रित उपयोग (पवन-सौर) प्रस्ताव प्रस्तुत या अनुमोदित किए गए हैं; और
(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र में मौजूदा और आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समय पर ग्रिड कनेक्टिविटी, भूमि-उपयोग मंजूरी और विद्युत पारेषण अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के नंदुरबार, सोलापुर और सांगली जिलों में चालू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है;

जिला	**चालू की गई पवन ऊर्जा क्षमता (मेगावाट में)**
नंदुरबार	341.9
सोलापुर	0
सांगली	1520.16

(ख): दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में चालू की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 29.36 गीगावाट है, जिसमें नंदुरबार, सोलापुर, सांगली और आसपास के जिले शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत 5.77 गीगावाट की पवन परियोजनाएं और 17.16 गीगावाट की सौर परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग): दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महाराष्ट्र की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का योगदान निम्नानुसार है;

स्थापित क्षमता	**महाराष्ट्र (गीगावाट में)**	**राष्ट्रीय स्तर पर (गीगावाट में)**	**योगदान प्रतिशत % में**
नवीकरणीय ऊर्जा	29.36	253.96	11.56
पवन ऊर्जा	5.77	53.99	10.68
सौर ऊर्जा	17.16	132.85	12.91

(घ) एवं (ङ): सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। तथापि, पवन-सौर परियोजनाओं के रिपावरिंग या हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना नहीं है। विकासकर्ताओं द्वारा ऐसी परियोजनाओं का विकास तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

अनुलग्नक

'महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा परियोजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2851 के भाग (घ) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- दिनांक 30 जून 2025 तक चालू हो चुकी और उसके बाद श्रेणीबद्ध आईएसटीएस शुल्क के साथ चालू होने वाली सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा की तीव्र वृद्धि के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, 2030 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) स्कीम के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) की शुरूआत की गई।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण एवं जीवन विस्तार नीति, 2023 जारी की गई है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं।
- प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडल की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 12 जून 2025 को जारी किए गए।
- वर्ष 2016 में जारी किए गए तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए दिशानिर्देश।
- •पवन टरबाइन मॉडल को संशोधित पवन टरबाइन मॉडल और निर्माताओं की सूची (आरएलएमएम) में शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया दिनांक 31 जुलाई 2025 को जारी की गई। इस संशोधन के तहत आरएलएमएम का नाम बदलकर अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची [एएलएमएम (पवन)] कर दिया गया है और इसमें सूचीबद्ध घटकों जैसे ब्लेड, टावर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बियरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बियरिंग) का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, डेटा केंद्रों को भारत के भीतर स्थानांतरित करना अनिवार्य है और वास्तविक समय डेटा को भारत से बाहर स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- ALMM-विंड और ALMM - विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स (ALMM-WTC) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, फैक्ट्री निरीक्षण, घटक मूल्यांकन और मॉडल पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****